न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 04/2017 – आ0नि0

1 श्रीमती कान्ता पत्नी भगवती प्रसाद शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत जालरिया पंचायत समिति आसीन्द जिला भीलवाडा	बनाम	1. श्री खमाण पुत्र चतरा बलाई निवासी मरेवडा तहसील आसीन्द 2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –

1. श्री रमेशचन्द्र शर्मा, अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी सं. 01 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 06.06.2018

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरूद्व दिनांक 05.04.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम मरेवडा पटवार हल्का जालरिया तहसील आसीन्द की हाल आराजी नम्बर 620,621,622,623 किता 04 रकबा 0.76 हैक्ट. जिसके साबिक आराजी नम्बर 867 रकबा 04.05 बीघा भूमि का दिनांक 04.09.1970 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी सं. 01 को गैर कानूनी तरीके से आवंटन कर दिया गया जो अवैध होकर निरस्तनीय हैं। तहसीलदार आसीन्द द्वारा दिनांक 14.03.2017 को कार्यालय में कोई रिकार्ड आवंटन पत्रावली नही मिलने की जांच रिपोर्ट के साथ प्रतिलिपि फार्म पर कोई सूचना नहीं दी गयी, इसलिए बिना आवंटन पत्रावली के उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। आवंटन किये जाने से पहले कोई उद्घोषणा जारी नही की गयी, जिस कारण प्रार्थी को उक्त आवंटन किया जाने की कोई जानकारी नही हो सकी। पटवार हल्का द्वारा विपक्षी को किये आवंटन बाबत् उक्त भूमि के कब्जे संबंधी किसी प्रकार की जांच व तहकीकात नही की है। आराजी नम्बर 623 रकबा 0.64 हैक्ट. में से 0.30 हैक्ट. भूमि मे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मरेवड़ा विद्यालय भवन, 0.10 हैक्ट. भूमि में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन एवं मैदान एवं शेष रकबे में आंगनबाड़ी भवन, हैण्डपम्प, सार्वजनिक पो एवं सार्वजनिक पथवारी बनी हुयी है व साथ ही आराजी नम्बर 620 एवं 621 जो कि गे.मु. कुईयां बनी हुई है, जो कि ग्रामवासीयान के सहयोग से बनायी गयी है तथा आराजी नम्बर 621 रकबा 0.06 गे.मु. कुई पर सार्वजनिक पो है, जो वर्तमान में गांव के मवेशियों के पानी पीने के उपयोग में आती हैं तथा काफी वर्षों से उक्त विद्यालय आदि बने हुये हैं व साथ ही उक्त भूमि में पनघट योजना के तहत ट्यूबवेल व आंगनबाडी व पुस्तकालय भवन ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत जालरिया के

भवन भी बने हुये हैं। जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि नही है व सरकारी भवन व कार्यालय बने हुये है। उक्त भूमि पर आवंटी विपक्षी सं. 01 का कभी भी कब्जा नही रहा है व न ही कोई कब्जा ही है। इस कारण विपक्षी सं. 01 को किया गया आवंटन गैर कानूनी होने से निरस्त होने लायक हैं। आवंटितशुदा भूमि जो कि कृषि योग्य भूमि नहीं होकर गे.मु. चट्टान के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा मौके पर मंगरी बनी हुयी हैं तथा उक्त भूमि किसी कदर से कृषि योग्य नहीं हैं। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मरेवडा पटवार हल्का जालरिया तहसील आसीन्द में दिनांक 04.09.1970 को विपक्षी सं. 01 को किया गया आवंटन निरस्त कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दिनांक 13.04.2017 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षीगण को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए तथा भू–आवंटन संबंधी रिकार्ड तलब किये जाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार आसीन्द ने पत्र क्रमांक/राजस्व/2018/4244 दिनांक 04.06.2018 से अंकित किया कि पत्रावली को कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड में ढुंढवाया गया परन्तु कार्यालय में उक्त पत्रावली का संधारण नहीं होना पाया गया है। विपक्षी सं. 01 सम्मन बाद तामील के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि ग्राम मरेवडा पटवार हल्का जालरिया तहसील आसीन्द की हाल आराजी नम्बर 620,621,622,623 किता 04 रकबा 0.76 हैक्ट. जिसके साबिक आराजी नम्बर 867 रकबा 04.05 बीघा भूमि का दिनांक 04.09.1970 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी सं. 01 को गैर कानूनी तरीके से आवंटन कर दिया गया जो अवैध होकर निरस्तनीय हैं। तहसीलदार आसीन्द द्वारा दिनांक 14.03.2017 को कार्यालय में कोई रिकार्ड आवंटन पत्रावली नही मिलने की जांच रिपोर्ट के साथ प्रतिलिपि फार्म पर कोई सूचना नहीं दी गयी, इसलिए बिना आवंटन पत्रावली के उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। आवंटन किये जाने से पहले कोई उद्घोषणा जारी नही की गयी, जिस कारण प्रार्थी को उक्त आवंटन किया जाने की कोई जानकारी नही हो सकी। पटवार हल्का द्वारा विपक्षी को किये आवंटन बाबत् उक्त भूमि के कब्जे संबंधी किसी प्रकार की जांच व तहकीकात नही की है। आराजी नम्बर 623 रकबा 0.64 हैक्ट. में से 0.30 हैक्ट. भूमि मे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मरेवड़ा विद्यालय भवन, 0.10 हैक्ट. भूमि में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन एवं मैदान एवं शेष रकबे में आंगनबाड़ी भवन, हैण्डपम्प, सार्वजनिक पो एवं सार्वजनिक पथवारी बनी हुयी है व साथ ही आराजी नम्बर 620 एवं 621 जो कि गे.मु. कुईयां बनी हुई है, जो कि ग्रामवासीयान के सहयोग से बनायी गयी है तथा आराजी नम्बर 621 रकबा 0.06 गे.मु. कुई पर सार्वजनिक पो है, जो वर्तमान में गांव के मवेशियों के पानी पीने के उपयोग में आती हैं तथा काफी वर्षों से उक्त विद्यालय आदि बने हुये हैं व साथ ही उक्त भूमि में पनघट योजना के तहत ट्यूबवेल व आंगनबाडी व पुस्तकालय भवन ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत जालरिया के भवन भी बने हुये हैं। जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि कृषि योग्य भूमि नही है व सरकारी भवन व कार्यालय बने हुये है। उक्त भूमि पर आवंटी विपक्षी सं. 01 का कभी भी कब्जा नही रहा है व न ही कोई कब्जा ही है। इस कारण विपक्षी सं. 01 को किया गया आवंटन गैर कानूनी होने से निरस्त होने लायक हैं। आवंटितशुदा भूमि जो कि कृषि योग्य भूमि नहीं होकर गे.मु. चट्टान के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा मौके पर मंगरी बनी

हुयी हैं तथा उक्त भूमि किसी कदर से कृषि योग्य नहीं हैं। निवेदन है कि प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मरेवडा पटवार हल्का जालरिया तहसील आसीन्द मे दिनांक 04.09.1970 को विपक्षी सं. 01 को किया गया आवंटन निरस्त कराया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया । ग्राम मरेवडा के बिलानाम आराजी नं. 867 रकबा 4.05 बीघा भूमि खमाण पिता चतरा बलाई के नाम दिनांक 4.09.1970 को आवंटन होकर नामान्तरकरण सं. 62 जमाबंदी संवत् 2031 से 2034 मे दर्ज की गयी। ग्राम मरेवडा तहसील आसीन्द के आराजी नं. 867 रकबा 4.05 बीघा भूमि के गैर खातेदार खमाण पिता चतरा बलाई सा.देह को उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के आदेशानुसार नामान्तरकरण सं. 112 दिनांक 25.09.1982 से खातेदारी में दर्ज की गयी। भू आवंटन नियम 1970 इस प्रकार हैं–

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 आवंटन की शर्तें –

1. **आवंटी को काश्तकारी अधिनियम के अधीन गैर खातेदार काश्तकार के सभी अधिकार होगें ।**
1. **क – ऐसे मामले में जहां भूमि का आवंटन किसी विवाहित कृषक को किया जाये तो आवंटन पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम में किया जायेगा तथा ऐसे मामले में संयुक्त आंवटी के रूप में समझे जायेगें ।**
2. **लगान ,भूमि पर लागू स्वीकृत लगान दर से अथवा यदि आवेदित एवं आवंटित भूमि लगान के लिये लगान का निर्धारण नहीं हुआ हैं तो ग्राम में बारानी भूमि की निम्नतम श्रेणी पर लागू दर से और ग्राम की चाही या नहरी सिचिंत भूमियों के लिये यथास्थिति चाही या नहरी दर से , आवंटन के प्रथम वर्ष से देय होगा ।**
3. **आवंटी को भूमि काश्त के अधीन लानी होगी तथा वह उसका समुचित उपयोग करेगा ।**
4. **यदि आवंटन कपट अथवा मिथ्याव्यपदेशन के द्वारा प्राप्त किया गया हो या नियमों के विरूद्व कियां गया हो या यदि आवंटी ने आवंटन शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो उपखण्ड अधिकारी द्वारा या तहसीलदार द्वारा किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर रद्द करने की शक्ति कलक्टर को होगी ।**

पटवार हल्का जालरिया की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.03.2016 अनुसार ग्राम मरेवडा पटवार हल्का जालरिया तहसील आसीन्द के आराजी नम्बर 620,621,622,623 किता 04 रकबा 0.76 हैक्ट. जिसके साबिक आराजी नम्बर 867 रकबा 04.05 बीघा भूमि पर आराजी नम्बर 623 रकबा 0.64 हैक्ट. में से 0.30 हैक्ट. भूमि मे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मरेवड़ा विद्यालय भवन, 0.10 हैक्ट. भूमि में राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन एवं मैदान एवं शेष रकबे में आंगनबाड़ी भवन, हैण्डपम्प, सार्वजनिक पो एवं सार्वजनिक पथवारी बनी हुयी है व साथ ही आराजी नम्बर 620 एवं 621 जो कि गे.मु. कुईयां बनी हुई है, जो कि ग्रामवासीयान के सहयोग से बनायी गयी है तथा आराजी नम्बर 621 रकबा 0.06 गे.मु. कुई पर सार्वजनिक पो है, जो वर्तमान में गांव के मवेशियों के पानी पीने के उपयोग में आती हैं तथा काफी वर्षो से उक्त विद्यालय आदि बने हुये हैं व साथ ही उक्त भूमि में पनघट योजना के तहत ट्यूबवेल व आंगनबाडी व पुस्तकालय भवन ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत जालरिया के भवन भी बने हुये हैं। आराजी नम्बर 620,621,622,623 किता 04 रकबा 0.76 हैक्ट. भूमि पर खमाण पुत्र चतरा बलाई निवासी मरेवडा का कभी कब्जा नही रहा और न ही फसल काश्त की हैं। नियम 3 की उल्लघंना होने पर भी खातेदारी अधिकार प्रदान किये

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

गये जो विधि विरूद्व है। ग्राम मरेवडा के साबिक आराजी नम्बर 867 रकबा 4.05 बीघा के हाल आराजी नं. 620,621,622,623 किता 04 रकबा 0.7600 हैक्ट. में से आराजी नं. 620,621 की किस्म गे.मु. कुईं एवं आराजी नं. 622 की किस्म गे.मु. बाडा है जो आवंटन योग्य नही होकर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि होने से राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के तहत विपक्षी के पक्ष में साबिक आराजी नं. 867 रकबा 4.05 बीघा भूमि को दिनांक 04.09.1970 को किया गया भूमि आवंटन नियम विरूद्व है। इस प्रकार ग्राम मरेवडा के आराजी नं. 620,621,622,623 किता 04 रकबा 0.7600 हैक्ट. भूमि का आवंटन दिनांक 04.09.1970 को खमाण पुत्र चतरा बलाई निवासी मरेवडा के नाम भू आंवटन सलहाकार समिति द्वारा किया गया भूमि का आवंटन विधि विरूद्व होने से प्रारंभ से ही शून्य हैं ।

राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त अपील/एल.आर./159/97 बाडमेर सरकार बनाम करणीसिंह पेज नं. 221 अनुसार खातेदारी के पश्चात् भी विधि विरूद्व किये गये आवंटन को निरस्त किया जा सकता है। विधि विरूद्व किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत स्वीकार योग्य ठहरता हैं । अतएव–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 का स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी सं. 01 के नाम ग्राम मरेवडा पटवार हल्का जालरिया तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा के आराजी नं0 620, 621, 622, 623 किता 04 रकबा 0.7600 हैक्ट. भूमि पर किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार आसीन्द ग्राम मरेवड़ा के आराजी नं. 620, 621, 622, 623 किता 04 रकबा 0.7600 हैक्ट. भूमि को राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार आसीन्द को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

06/06/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा